POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.07.2022

#उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाने के लिये अपराधों/अपराधियों पर नियंत्रण रखते हुये कठोर कार्यवाही की जा रही है सुनिश्चित।

सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के तहत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करने के उद्देश्य से संचालित किया गया विशेष अभियान।

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार दिनांक 25.03.2022 से 10.07.2022 तक कमिश्नरेट गौमतबुद्धनगर के तहत कानून व्यवस्था को सुदृढ बनाने एवं अपराधियों/अपराधों पर नियंत्रण करते हुये की गयी बृहद कार्यवाही।

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से जनपद गौतम बुद्ध नगर की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं अपराधियों पर निरंतर स्तर पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों द्वारा निरंतर विशेष स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। सरकार की मंशा के अनुरूप सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के तहत कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं अपराधों एवं अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से जनपद में विशेष अभियान संचालित किया गया। संचालित किए गए अभियान के दौरान कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत चिन्हित टॉप 10 अपराधियों की सूची में कुल 380 अभियुक्तों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है जिनमें 370 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत कुल 71 माफियाओं केंद्र विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 52 माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। चलाए गए विशेष अभियान के तहत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अन्तर्गत कुल 108 अपराधियों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही करते हुए 82 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । साथ ही टॉप 10 अपराधियों, माफियाओं व गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों की कुल 22 करोड 47 लाख 16 हजार रूपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया है। पॉक्सो अधि0/महिला सम्बन्धी अपराधों /आर्म्स अधि0/गैंगस्टर अधि0 व अन्य मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुये माननीय न्यायालय द्वारा कुल 400 अभियुक्तों को सजा दिलाई गयी है, जिसमें 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ है एवं 26 अभियुक्तों को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है। कमिश्नरेट के तहत दिनांक 01 जून 2022 से विशेष अभियान के तहत लूट के अभियोगों में 56 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा सोने के आभूषण, मोबाईल फोन, दोपहिया वाहन, चार पहिया वाहन, ट्रक, आदि की बरामदगी करते हुये करीब 1.5 करोड की सम्पत्ति बरामद की गयी है। सरकार के 100 दिन के कार्यकाल के तहत अपराधियों के विरुद्ध उपरोक्त विशेष कार्यवाही पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में सुनिश्चित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद की कानून व्यवस्था को निरंतर स्तर पर सुदृढ़ बनाए जाने के संबंध में आगे भी विभिन्न

प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध पुलिस विभाग के अधिकारी गण निरंतर स्तर पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रहे।

#पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के निर्देशन में सवेरा योजना के अन्तर्गत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा जाना बुजुर्गो/आमजन का हाल,किसी भी समस्या होने पर अधिकारियों द्वारा बुजुर्गो/सीनियर सिटीजनों को दिये गये अपने नम्बर।

पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर अपराध नियंत्रण के साथ-साथ कमिश्नरेट में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा तथा समस्या के प्रति बेहद गंभीर है,उनके द्वारा अपराधियों के विरूद्ध समय समय पर अभियान चलाकर कठोर कार्यवाही की जा रही है साथ ही आम नागरिकों जिसमें विशेषतः बुजुर्गो/सीनियर सिटीजनों जो अपने बच्चों से किन्ही कारणो से अलग रह रहे है या बच्चों के विदेशो/जिले से बाहर नौकरी करने के कारण माता पिता अकेले रह रहे हैं उनकी सुरक्षा व परेशानियों को ध्यान मे रखते हुये सवेरा योजना नाम से एक अभियान निरंतर चलाया जा रहा है।

इस अभियान के अंतर्गत पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में नोएडा जोन से एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा पुलिस बल के साथ सीनियर सिटीजनों के पास जाकर हाल चाल लिया गया तथा उनसे उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तथा कोई भी समस्या या परेशानी होने पर तत्काल पुलिस से सम्पर्क करने के लिये कहा गया जिसके लिये थाना प्रभारी एक्सप्रेस वे द्वारा पुलिस सहायता नम्बर व अपना सम्पर्क नम्बर भी साझा किया गया। पुलिस द्वारा सवेरा योजना के अंतर्गत किये गये इस कार्य की सीनियर सिटीजन्स द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रशंसा करते हुये धन्यवाद किया।

1-थाना सेक्टर 113 पुलिस द्वारा घर पर हमला करने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र बरामद।

दिनांक 22.07.2022 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-253/22 धारा-147/323/336/452/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट का वांछित अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र भूप सिंह निवासी सर्फाबाद थाना सेक्टर-113 नोएडा को मय 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

विवरण-

अभियुक्त द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर दिनांक 19/07/2022 को समय लगभग रात्रि 11 बजे वादी के बेटों व पत्नी के साथ घर के बाहर आकर गाली गलौज, मारपीट व अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए वहां से भाग गए थे । उक्त धटना के संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0-253/2022 धारा 147/323/336/452/504/506 भादवि व मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त बिजेन्द्र पुत्र भूप सिंह निवासी सर्फाबाद नोएडा

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0-253/2022 धारा 147/323/336/452/504/506 भादवि थाना सेक्टर-113 नोएडा

2. मु0अ0स0 256/2022 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-113 नोएडा

बरामदगी का विवरण-

01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल व 01 चाकू बरामद ।

दिनांक 21.07.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा एक वाहन चोर जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम चिटहेरा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर को भट्टा गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक चाकू नाजायज व चोरी की एक मोटर साइकिल पैशन प्रो रजि0-नं0- UP16AV9641 बरामद हुई है ।

अभियुक्त एक शातिर किस्म का वाहन चोर है जिसके द्वारा बरामदा मोटर साइकिल ग्राम चिटहरा प्राइमरी स्कूल के पास दादरी से चोरी की गयी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.जीतू उर्फ जीतेन्द्र पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम चिटहेरा थाना दादरी जनपद गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 460/2022 धारा 411/414 भादवि थाना सूरजपुर जीबीएन ।

2.मु0अ0सं0 461/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर जीबीएन ।

3.मु0अ0सं0 210/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दादरी जीबीएन ।

बरामदगी का विवरण-

1.01 मोटर साइकिल पैशन प्रो रजि0-नं0- UP16AV9641 इंजन नम्बर-MBLHA10A6EHH21122 चेसिस नं0 MBLHA 10ASEHH21122

2.01 चाकू नाजायज